



देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

अंक -2019/rtiexpose/04

E-Newsletter, Issued in Public Interest

शनिवार, 8 जून 2019



जे.डी.ए. के अधिकारियों ने सूचना के अधिकार को मजाक बनाया

सूचना का अधिकार; पारदर्शिता और जवाबदेही का जरिया

शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अस्तित्व में लाया गया था, जिसके लागू होने से लगा कि अब व्यवस्था में बदलाव आयेगा, अधिकारी, कर्मचारी चाक चौबंद होंगे और शुरू में हुआ भी यही, परन्तु समय के साथ अधिकारी वर्ग इस कानून को भी खोखला करने में लग गए, कानून की गलियाँ निकाली गयी और नागरिकों को सूचनाएं नहीं देने के नए नए तरीके अपनाए जाने लगे।

जे.डी.ए. में सूचना आवेदनों की स्थिति

ऐसा ही कुछ जे.डी.ए. में भी चल रहा है, जहाँ पर पूरा अधिकारी वर्ग सूचना के अधिकार को पंगु करने पर आमादा है। राजस्थान सूचना



आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में जे.डी.ए. में कुल 12495 आवेदन आये थे जिनमें से 5825 आवेदनों में निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाई गई, लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पर 1887 आवेदकों ने प्रथम अपील दायर की।

इन आंकड़ों से पता चल सकता है कि वर्तमान इन सूचना आवेदनों की संख्या कितनी बढ़ गयी होगी, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्राधिकरण का प्रयास यह होना चाहिए कि उससे सम्बंधित अधिक से अधिक सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाए जिससे नागरिकों को सूचना के लिए आवेदन करने की जरूरत ही नहीं पड़े, परन्तु जे.डी.ए. में इसके विपरीत हो रहा है। अधिकांशतः आम आदमी अपनी जमीन से सम्बंधित दस्तावेजों की जानकारी, अधिकारियों की लापरवाही, मिलीभगत, भ्रष्टाचार और अपने आस-पास हो रहे अवैध निर्माण, अतिक्रमण और बिना अनुमति आवासीय भूखंड में व्यावसायिक

गतिविधियों की शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग करता है, परन्तु मौजूदा समय में जे.डी.ए. अधिकारियों की कार्यशैली से जे.डी.ए. में सूचना के तहत आवेदन करना एक तरह से समय और पैसे दोनों की बर्बादी नजर आती है।

प्रथम अपील का बैठा दिया भट्टा

RTI एक्ट के अनुसार लोक सुचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने,नियत 30 दिनों में सुचना प्राप्त नहीं होने के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी को अपील करने का प्रावधान है।

सचिव मैडम नहीं करती अपीलों पर फैसला-जे.डी.ए. में प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में अपीलों के निस्तारण का दायित्व जे.डी.ए. सचिव का है,जिस पर वर्तमान में श्रीमति अर्चना सिंह पदस्थापित है।परन्तु आश्चर्य की बात है कि प्रथम अपीलों का निस्तारण मैडम द्वारा नहीं किया जाकर,विभाग में ही संविदा पर लगे विभाग के ही एक रिटायर्ड तहसीलदार श्री शिव चरण यादव द्वारा किया जाता है।सुचना आवेदनों के निस्तारण में इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता,जे.डी.ए. में आने वाली हर छोटे बड़े आदमियों की अपीलों की सुनवाई इन श्रीमान द्वारा ही की जाती है और अधिकारियों को डांट-फटकार भी इसके द्वारा ही लगाई जाती है।सचिव मैडम तो केवल अपीलों के निर्णय पर हस्ताक्षर करने का काम करती है।

नहीं आते है अधिकारी सुनवाई में,भेज देते है अपने मातहतों को।

व्यस्तता का बना देते है बहाना

अधिकारीगण अपीलों में व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने के लिए व्यस्तता का बहाना बना देते है,और काम का रोना रोने लगते है।अपीलों को टालने की अधिकारियों की यह प्रवृति अब आम हो गयी है।जबकि अपीलीय प्रक्रियाओं में सुचना नहीं देने,अधूरी,अस्पष्ट देने से सम्बंधित जवाब देने का उत्तरदायित्व लोक सुचना अधिकारी का होता है।

जे.डी.ए. में प्रथम अपीलों में होने वाली इस घोर लापरवाही का फायदा जे.डी.ए. में लोक सुचना अधिकारी के तौर पर पदस्थापित अधिकारी वर्ग उठाते है,प्रथम तो वह नियत समय में सुचना देने से बचते है,यदि सुचना आवेदक प्रथम अपील भी कर देता है तो,वहां पर यह अधिकारी उपस्थित

नहीं होते,जिसका एक बड़ा कारण सचिव मैडम द्वारा अपीलों का निस्तारण नहीं करना है,दुसरा कारण है कि वह अपने से कम पद पर रहे और रिटायर्ड व्यक्ति के सामने सुनवाई में उपस्थित नही होना चाहते।इन दोनों कारणों से जहाँ एक और अधिकारी में से आई.ए.एस. अधिकारी के सामने उपस्थित होने का डर निकल जाता

है वही उन्हें मनमर्जी के अनुसार सूचनाएं देने या नहीं देने का मौका मिल जाता है,जिसका सीधा नुकसान सुचना आवेदक को उठाना पड़ता है,जिसे पुनः सूचनाओं के लिए राज्य सुचना आयोग के धक्के खाने पड़ते है।

भारत सरकार के आदेश भी दरकिनार



प्रथम अपीलों में होने वाली लापरवाहियों से परेशान होकर केन्द्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी राज्य सरकारों को

निर्देश जारी किये थे कि वह अपने राज्य में प्रथम अपील के ढाँचे में परिवर्तन करें।इन निर्देशों के तहत बताया गया कि अपीलीय प्रक्रिया एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है,जिसके होने पर लगना चाहिए कि न्याय किया गया है,अपीलीय अधिकारी का निर्णय “ speaking decision ” होना चाहिए।

इसी आदेश में यह दिशा निर्देश भी दिए गए है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्तर लोक सुचना अधिकारी के स्तर से ऊँचा होना चाहिए,जिससे कि यदि लोक सुचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की पालना नहीं की जाए, तो वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो।

साथ ही यदि अपीलीय अधिकारी चाहे तो मांगी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य जरुरी सूचनाएं,जो सुचना आवेदन के अनुसार अपेक्षित हो,उपलब्ध करवा सकता है।

जे.डी.ए. के लोक सुचना अधिकारियों की सूची दो साल पुरानी

सुचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (b) के अनुसार विभाग से जुडी 18 सूचनाओं को निरंतर अद्यतन करने का प्रावधान है,परन्तु वास्तव में जे.डी.ए. की वेबसाइट को अपडेट किये एक अरसा हो गया है,जे.डी.ए. की वेबसाइट पर प्रकाशित लोक सुचना

अधिकारियों की सूची को अंतिम बार 15/11/2017 को अद्यतन किया गया था, इस सूची के अनुसार तो वर्तमान में एक अधिकारी भी जे.डी.ए. में तैनात नहीं है जिसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ता है और उसका सुचना आवेदन एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घूमता रहता है।

30 दिन में सुचना नहीं देने से राजस्व का नुकसान

जे.डी.ए. में अधिकारियों की लापरवाही/दादागिरी के कारण सुचना आवेदक को नियत 30 दिन में सुचना उपलब्ध नहीं हो पाती और जब अपीलीय प्रक्रियाओं में सुचना देने का निर्णय आता है तो उन्हें वह तमाम सूचनाएं निशुल्क देनी पड़ती है, जिसको समय पर देने से जे.डी.ए. को 2रूपये प्रति पृष्ठ के प्राप्त होते। इस प्रकार, अधिकारियों की लापरवाही के कारण जे.डी.ए. को लाखों रूपये फोटोस्टेट के भरने पड़ रहे हैं और पहले से ही तंगी से जूझ रहे जे.डी.ए. को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

क्या सुधार पायेंगे जे.डी.ए. आयुक्त यह ढर्रा??

जे.डी.ए. में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले सुचना आवेदनों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि जे.डी.ए. आयुक्त इस मामले में गंभीरता से लेते हुए प्रथम अपीलीय प्रक्रिया को प्रभावी बनाये, सचिव मैडम को निर्देश देवें की वह व्यक्तिशः अपीलों की सुनवाई करें, लोक सुचना अधिकारियों को भी व्यक्तिशः बुलाये और युक्तिसंगत सुचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करें इसके साथ ही जल्द से जल्द नए लोक सुचना अधिकारियों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने के आदेश प्रदान करें।

संख्या - 10/23/2007-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पहली अपील का निपटान ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि :-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपीलों का निपटान अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं करते हैं ;

(ii) अपीलीय प्राधिकारी न्यायिक ढंग से अपीलों की जांच नहीं करते और वे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के साथ यथावत अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं ;

(iii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को सूचना देने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं ।


2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (6) में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देना चाहिए । आपवादिक मामलों में अपीलीय प्राधिकारी अपील के निपटान में इस शर्त पर 45 दिन का समय ले सकता है कि वह अपील के संबंध में निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा । इसलिए हर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर हो जाए । यदि कुछ आपवादिक मामलों का निपटान 30 दिनों के अंदर कर पाना संभव न हो तो इसके निपटान में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारी को अपील का निर्णय 30 दिनों में न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहिए ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलों का निपटान एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है । इसलिए यह आवश्यक है कि अपीलीय प्राधिकारी यह ध्यान दे कि केवल न्याय किया ही न जाए बल्कि यह भी लगना चाहिए कि न्याय किया गया है । ऐसा करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश स्वतः स्पष्ट होना चाहिए जिसमें लिए गए निर्णय के औचित्य को भी बताया गया हो ।

4. यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अतिरिक्त और सूचना दी जानी चाहिए तो वह या तो (i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह अपीलकर्ता को वह सूचना दे ; या (ii) वह स्वयं अपील का निपटान करते समय अपीलकर्ता को सूचना दे सकता है । पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेशित सूचना अपीलकर्ता को तत्काल दे दी जाए । तथापि यह बेहतर होगा कि अपील्य प्राधिकारी दूसरे विकल्प का चयन करे तथा वह उक्त मामले पर दिए गए आदेश के साथ ही अपेक्षित सूचना भी दे दे ।

5. केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने काफी कनिष्ठ अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है जो अपना आदेश लागू करा पाने की स्थिति में नहीं हैं । अधिनियम में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का होगा । इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी होगा । तथापि, यदि किसी मामले में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का कार्यान्वयन नहीं करता है तथा अपीलीय प्राधिकारी महसूस करता है कि आदेश के कार्यान्वयन के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप जरूरी है तो उसे मामले को ऐसे लोक अधिकारी की जानकारी में लाना चाहिए जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो । ऐसे सक्षम अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवश्यक कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

6. इस कार्यालय ज्ञापन के विषय को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाए ।


(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/युवाव आयोग ।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली
4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ ।

